

वन भूमि की मांग की औचित्य पूर्ण विस्तृत आख्या

परियोजना का नाम:- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज न० XVIII के अन्तर्गत सौरा-सारी-सिल्ला से पिलंग मोटर मार्ग (8.500 किमी०) के निर्माण हेतु 4.900 है० आरक्षित वन भूमि 0.700 है० सिविल भूमि, 1.140 है० डम्पिंग हेतु वनभूमि, 6.740 है० कुल वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया ग्राम पिलंग की 267 की आबादी अभी तक मोटर मार्ग से नहीं जुड़ी है और ग्रामवासियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिये लगभग 08 किमी० पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। प्रस्तावित समरेखण ग्राम पिलंग के नाप भूमि, सिविल सोयम भूमि, व वन आरक्षित भूमि से होकर गुजर रहा है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की भूमि प्रस्तावित नहीं हो रही है जो तकनीकी भू-वैज्ञानिकों के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त बताया गया है। जैसा कि मानचित्र के अनुसार ग्राम पिलंग की नाप भूमि तथा आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि से घिरा है। उक्त निर्माण कार्य के दौरान मक डिस्पोजल चयनित वन भूमि एवं चयनित सिविल भूमि में किया जायेगा।

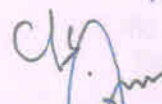
अतः ग्राम पिलंग तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए आरक्षित व सिविल तथा नाप भूमि की आवश्यकता है इसलिए प्रस्तावित समरेखण में भू-वैज्ञानिक द्वारा परीक्षण कराकर न्यूनतम आरक्षित व सिविल भूमि की मांग की गई है। उक्त भूमि का हस्तान्तरण किया जाना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 250 से अधिक आबादि वाले गांव पिलंग को जोड़े जाने का प्राविधान है, जो कि सौरा-सारी-सिल्ला से पिलंग मोटर मार्ग (8.500 किमी०) लम्बाई में प्रस्तावित है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मोटर मार्ग का निर्माण औचित्य पूर्ण है।


सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सि०ख०
उत्तरकाशी


वनक्षेत्राधिकारी
टकनौर रैंज
भटवाड़ी


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी


तहसीलदार
भटवाड़ी


अधिसायी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सि०ख०
उत्तरकाशी


उपजिलाधिकारी
भटवाड़ी